299 (4) लोक उद्यमों की वार्षिक सामान्य बैठको में भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारी का नामांकन

सरकारी उपक्रमों से संबंधित संसदीय समिति (1997–78) (छठीं लोक सभा) ने केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम–संगठन प्रशासन और वित्तीय मामलों में कुप्रबंधन विषय पर अपनी नौवीं रिपोर्ट में सरकारी उद्यमों की वार्षिक सामान्य बैठकों में भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारी के नामांकन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी दी है:–

199(2)

''चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक सामान्य बैठक में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते है ओर ऐसी बैठकों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधत्व के लिए नियुक्त केन्द्र सरकार का अधिकारी समुचित रूप से उच्च स्तर का अधिकारी होना चाहिए, न कि अवर सिचव स्तर का अधिकारी, जैसा कि केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की बैठक के मामले में किया गया है।

2. संसदीय समिति की उपर्युक्त टिप्पणी की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार निदेशक बोर्ड में सरकारी प्रतिनिधित्व संबंधित संयुक्त सचिवों/निदेशकों तक ही सीमित है, उसी प्रकार उचित होगा कि प्रशासनिक मंत्रालय केवल, ऐसे पात्र अधिकारियो ंको ही प्रमुख अंशधारक अर्थात भारत के राष्ट्रपति के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारी उद्यमों की वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए नामित करें, जो निदेशक बोर्ड में नामांकन के पात्र हैं।

3. इस्पात और खान मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की वार्षिक सामान्य बैठक में राष्ट्रपति की ओर से भाग लेने के लिए अधिकारियों को नामित करते समय पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखें।

(बी पी ई/जी एल–027/78 एम ए एन/2 (52)/78–बी पी ई (जी एम) 26 अगस्त, 1978)